राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 34 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़ – वादी

बनाम

1. अनोप पत्नि सोहन जाति राणा निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. उगन्ता देवी पत्नि महीपालसिंह जाति अहीर निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. जगदेव पुत्र केदारमल जाति जांगिड़ निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
4. नसीम पुत्री सोहन जाति राणा निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. बृजेशमान पुत्र रडमलसिंह जाति जाट निवासी भोबिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. मंगेज पुत्र गणपत जाति राणा निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. माफिया पुत्री सोहन जाति राणा निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. मोहम्मद पुत्र सोहन जाति राणा निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. रूकसाना पुत्री सोहन जाति राणा निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
10. श्रवणकुमार पुत्र करणाराम जाति ब्राहमण वार्ड न0 22 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
11. समरीन पुत्री सोहन जाति राणा निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
12. समसू पुत्र बैजा जाति राणा निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक –04.01.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र. को खुर्द बुर्द नही करें।
(ख) अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 26? आर0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस बोर्ड ग्राम पचायत अडूका पर चस्पानगी से की गयी। प्रतिवादी संख्या 10 ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें बताया की राजस्व ग्राम अडूका में ख0न0 441 रकबा 0.2100 है0 बारानी प्रथम कृषि भूमि स्थित है जो खाली पड़ी है जिस पर मैने गलती से प्लाट के गद लगा दिये थे जिसको मैंने अब हटा दिया है। उक्त भूमि को कृषि कार्य मे ही लिया जायेगा और आगे मे ऐसी गलती नही करूगा तथा इस सम्बन्ध शपथ पत्र पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने पर राज पैरोकार को मौखिक निर्देश देकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मगवायी गई जिसमें उन्होने बताया की उक्त खसरा नम्बर में आज दिनांक 10.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से में निर्माण या कोई भी अकृषि कार्य नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा, फर्द मौका।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 441 कुल रकबा 0.21 हैक्टर स्थित ग्राम अडूका तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादी संख्या 10 का जवाब एवं शपथ पत्र में दोष स्वीकार किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। परन्तु हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 10 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को पूर्व की स्थिति में लाया जाना पाया गया । अतः प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से को छोड़कर शेष समस्त प्रतिवादीगण के खातेदारी हक अधिकार हजफ किया जाकर, ख0न0 441 रकबा 0.21 हैक्टर स्थित

ग्राम अडूका को राजहक में लिया जाकर सिवायचक घोषित करते हुए वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। चूंकी प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः उसके हिस्से पर बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 50 गुणा राशी तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है। 18

प्रतिवादी संख्या 10 को पाबंद भी किया जाता है कि भविष्य में बिना विहित अधिकारी/प्राधिकारी की अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का भूमि अथवा उसके भाग का अकृषि उपयोग नहीं करेगें।

तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा न0 441 वाके ग्राम अडूका को नियमानुसार व आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अंमल दरामद करना सुनिश्चित करें ।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

 19

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद सं.–34/2021
निर्णय दिनांक :– 04.01.2022

राजस्थान सरकार बनाम अनोप आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से सरकारी पैरोकार व प्रतिवादीगण की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 04.01.2022 को दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार कर डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 441 कुल रकबा 0.21 हैक्टर स्थित ग्राम अडूका तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादी संख्या 10 का जवाब एवं शपथ पत्र में दोष स्वीकार किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। परन्तु हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 10 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को पूर्व की स्थिति में लाया जाना पाया गया । अतः प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से को छोड़कर शेष समस्त प्रतिवादीगण के खातेदारी हक अधिकार हजफ किया जाकर, ख0न0 441 रकबा 0.21 हैक्टर स्थित ग्राम अडूका को राजहक में लिया जाकर सिवायचक घोषित करते हुए वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। चूंकी प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः उसके हिस्से पर बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 50 गुणा राशी तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है।

प्रतिवादी संख्या 10 को पाबंद भी किया जाता है कि भविष्य में बिना विहित अधिकारी/प्राधिकारी की अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का भूमि अथवा उसके भाग का अकृषि उपयोग नहीं करेगें।

तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा न0 441 वाके ग्राम अडूका को नियमानुसार व आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें ।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दीपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़